भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2778
उत्तर देने की तारीख 06 अगस्त, 2025

वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु डाक विभाग की भूमि

2778. एडवोकेट अदूर प्रकाश :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार डाक विभाग के स्वामित्व वाली भूमि को वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु विकसित करने की योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या योजना तैयार की गई है;

(ख) सरकार द्वारा देश में डाकघरों को लाभ का केंद्र बनाने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में बड़ी संख्या में डाकघर किराए के भवनों में चल रहे हैं, जबकि विभाग के पास उन स्थानों पर अपनी भूमि है जहां डाकघर स्थित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की किराए के भवनों के स्थान पर कार्यरत डाकघरों के लिए अपना भवन बनाने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने केरल के अत्तिंगल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में डाकघरों के लिए भवन निर्माण की मांग पर विचार किया है, जहां विभाग के पास अपनी भूमि है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) जी, नहीं। ऐसी कोई योजना नहीं बनाई गई है।

(ख) सरकार द्वारा देश में डाकघरों को लाभ का केंद्र बनाने के लिए किए गए/किए जा रहे उपायों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

i. व्यवसाय बढ़ाने हेतु विभिन्न अवसरों (ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज) की पहचान करना और प्रक्रियाओं में अपेक्षित परिवर्तन करना : डाक विभाग अपने व्यवसाय और प्रक्रियाओं को इष्टम बना रहा है। डाक विभाग का लक्ष्य, देश के कोने-कोने में फैले अपने नेटवर्क का लाभ उठाते हुए; मेल, वित्तीय, नागरिक-केन्द्रित, और सरकारी सेवाओं की कुशलतापूर्वक डिलिवरी सुनिश्चित करना है।

ii. पार्सल और लॉजिस्टिक्स पर विशेष ध्यान देना - प्रौद्योगिकी-चालित लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति शृंखला में आमूल-चूल परिवर्तन : लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में प्रमुख भागीदार बनने के लिए, डाक विभाग मशीनीकृत डिलिवरी, सड़क परिवहन नेटवर्क, एकीकृत हब, और ई-कॉमर्स साझेदारियों की मदद से पार्सल और लॉजिस्टिक्स सेवाओं में विस्तार करने पर विशेष ध्यान दे रहा है।

iii. डिजिटल और प्रौद्योगिकीय उन्नयन - आईटी आधुनिकीकरण परियोजना 2.0 : आईटी आधुनिकीकरण परियोजना 2.0 के अंतर्गत एपीटी 2.0 प्लैटफ़ार्म लॉन्च किया गया है। इसमें 'ग्राहक अनुभव' को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल रूपान्तरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है।

iv. डिजिटल एड्रैस कोड़ (डिजिपिन) : डिजिपिन पहल के तहत, पता-प्रबंधन को आसान बनाने और केवाईसी प्रक्रिया में सहयोग करने हेतु 'जियो-कोडेड एड्रेसिंग प्रणाली' की शुरुआत की गई है।

v. सम्पदा प्रबंधन : जहां तक सम्पदा प्रबंधन का प्रश्न है, विभाग के पास उपलब्ध कुल भूमि का पुनर्मूल्यांकन किया गया है और डाक-सम्पदा में दिव्यांगजनों एवं महिलाओं के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने सहित कारोबारी प्रगति तथा समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए इनका इष्टम उपयोग किया जा रहा है।

vi. डाक विभाग की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण : अवसंरचना में निवेश, प्रचालनात्मक दक्षता में सुधार, और सेवाओं का डिजिटलीकरण करके डाक विभाग का लक्ष्य वित्तीय स्थिरता प्राप्त करना है।

(ग) जी, हां।

25,096 विभागीय डाक-घरों में से केवल 4,499 डाकघर ही विभाग के स्वामित्व वाले भवनों में कार्य कर रहे हैं, और शेष 20,597 डाकघर किराए के भवनों में काम कर रहे हैं। विभाग के पास 1,460 रिक्त भू-खंड हैं।

(घ) जी, हां।

विभाग के पास नए डाकघर भवनों के निर्माण के लिए संपदा प्रबंधन स्कीम (ईएमएस) के तहत वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक के लिए एक अनुमोदित योजना है। वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक निर्मित नए डाकघर भवनों का विवरण निम्नानुसार है :

कार्यकलाप	**वर्ष 2021-22**	**वर्ष 2022-23**	**वर्ष 2023-24**	**वर्ष 2024-25**
निर्मित डाकघर भवन	44	45	55	48

वित्त वर्ष 2025-26 में 439 डाकघरों का निर्माण करने की योजना है।

(ङ) जी, हां।

अत्तिंगल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में विभाग के पास कुल नौ रिक्त भू-खंड उपलब्ध हैं; तत्संबंधी ब्यौरा निम्नानुसार है :

i. अवनवनचेरी
ii. चिराईंकिल वेस्ट
iii. कडक्कवूर-II
iv. पलायम्कुन्नु
v. पंगोडे
vi. पिराप्पनकोड
vii. पेरुंकुझी
viii. वामनपुरम्
ix. कल्लार

उपर्युक्त में से, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान नए डाकघर भवनों के निर्माण के लिए अवनवनचेरी (क्रम सं.1) और पंगोडे (क्रम सं.5) स्थित भू-खंडों को चिह्नित किया गया है। डाक विभाग के सिविल विंग द्वारा इन दोनों स्थानों पर डाकघर भवनों के निर्माण के लिए कार्यस्थल की उपयुक्तता और संबंधित तकनीकी मानदंडों के आधार पर व्यवहार्यता की जांच की जा रही है।

*****